



महाराष्ट्र शासन
कृषि विभाग



शेतकऱ्यांसाठी माहिती पुस्तिका



श्री. देवेंद्रजी फडणवीस
मा. मुख्यमंत्री



श्री. चंद्रकांत पाटील
मा. मंत्री कृषि व फलोत्पादन, पणन,
महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम



श्री. सदाभाऊ खोत
मा. राज्यमंत्री कृषि व फलोत्पादन, पणन

कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

प्रस्तावना

देशाचे माननीय पंतप्रधान यांचे संकल्पनेनुसार सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकरीता राज्यशासनामार्फत सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार विविध केंद्र पुरस्कृत योजना अभियान स्वरूपात राबविण्यात येत आहेत.

'प्रति थेंब अधिक पीक' करीता सूक्ष्मसिंचन योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत हरितगृह, शेडनेट, सामुहिक शेततळे, कांदाचाळी या योजनांचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाते. योजनांच्या अंमलबजावणीमधील सुलभता आणि पारदर्शकता यामुळे सूक्ष्मसिंचन आणि कृषि यांत्रिकीकरणस वाढता प्रतिसाद पाहता यापुढेही या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत.

कृषि विषयक कामकाजातील आवश्यक घटकांसाठी विविध योजनांमधून लाभ देण्यात येतो. शेतकऱ्यांना आवश्यक घटकांसाठी कोणकोणत्या योजनांमधून अर्थसहाय्य मिळू शकते आणि त्यासाठी अनुदान मर्यादेबाबतची माहिती सुलभरित्या उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या पुस्तिकेद्वारे करण्यात आला आहे.



अनुक्रमणिका

| अ.क्र. | घटक | पृष्ठ.क्र. |
|--------|---|------------|
| १. | यांत्रिकीकरण | ३-८ |
| २. | फळे, फुले व वृक्ष लागवड | ९-१० |
| ३. | बियाणे व रोपवाटीका | १०-११ |
| ४. | सिंचन सुविधा | ११-१३ |
| ५. | उच्च तंत्र शेती | १४-१५ |
| ६. | साठवणुक व प्रक्रिया केंद्र | १५-१७ |
| ७. | प्रशिक्षण व अभ्यासदौरे | १७-१८ |
| ८. | प्रात्यक्षिके | १८-१९ |
| ९. | बाजार सुविधा | १९-२० |
| १०. | सॅन्ड्रिय शेती | २०-२१ |
| ११. | भू-सुधारणा व शेती पध्दती विकास | २१ |
| १२. | पिक व शेतकरी विमा | २१-२२ |
| १३. | निविष्ठा | २२ |
| १४. | कृषि विषयक पुरस्कार | २२-२३ |
| १५. | शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी अर्थसहाय्य योजना | २३ |
| १६. | अनुसूचित जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष योजना | २४ |
| १७. | डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन | २४ |
| १८. | मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना | २४ |
| १९. | गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरण - शेतकऱ्यांच्या गटशेतीस चालना देणे... | २५ |
| २०. | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियान | २५ |
| २१. | भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना | २६ |
| २२. | कृषि विभागाच्या विविध योजनांतर्गत समाविष्ट जिल्हे | २७-२८ |

१. यांत्रिकीकरण

| अ. न. | कृषि औजाराचा प्रकार | अ.जा., अ.ज., अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी व महिला लाभार्थीसाठी | | इतर लाभार्थीसाठी | | योजना |
|---|---|--|---------------------|---|---------------------|---|
| | | मंजूर कमाल अनुदान मर्यादा प्रती औजार/उपकरण प्रती लाभार्थी | अनुदानाची टक्केवारी | मंजूर कमाल अनुदान मर्यादा प्रती औजार/उपकरण प्रती लाभार्थी | अनुदानाची टक्केवारी | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| अ. ट्रॅक्टर | | | | | | |
| १ | ट्रॅक्टर (०८-१५ पी.टी.ओ. एच.पी.) | रु. १.०० लाख | ३५ टक्के | रु. ०.७५ लाख | २५ टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान / कोरडवाहू शेती अभियान |
| २ | ट्रॅक्टर (१५-२० पी.टी.ओ. एच.पी.) | रु. १.०० लाख | ३५ टक्के | रु. ०.७५ लाख | २५ टक्के | |
| ३ | ट्रॅक्टर (२०-४० पी.टी.ओ. एच.पी. पेक्षा जास्त) | रु. १.२५ लाख | ३५ टक्के | रु. १.०० लाख | २५ टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान / कोरडवाहू शेती अभियान |
| ४ | ट्रॅक्टर (४०-७० पी.टी.ओ. एच.पी.) | रु. १.२५ लाख | ३५ टक्के | रु. १.०० लाख | २५ टक्के | |
| ब. पॉवर टिलर | | | | | | |
| १ | पॉवर टिलर (८ बी.एच.पी. पेक्षा कमी) | रु. ०.५० लाख | ५० टक्के | रु. ०.४० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान / कोरडवाहू शेती अभियान |
| २ | पॉवर टिलर (८ बी.एच.पी. आणि त्यापेक्षा जास्त) | रु. ०.७५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.६० लाख | ४० टक्के | |
| क. भात लावणी यंत्र / पॅडी ट्रान्स्प्लॉन्टर | | | | | | |
| १ | स्वयंचलीत पॅडी ट्रान्स्प्लॉन्टर (४ रांगा/ओळी) | रु. ०.९४ लाख | ५० टक्के | रु. ०.७५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान / कोरडवाहू शेती अभियान |
| २ | ४- ८ रांगा पेक्षा जास्त | रु. २.०० लाख | ४० टक्के | रु. २.०० लाख | ४० टक्के | |
| ३ | ८-१६ रांगा पेक्षा जास्त | | | | | |
| द. स्वयंचलीत यंत्रे | | | | | | |
| १ | स्वयंचलीत यंत्रे - रीपर कम बाईंडर | रु. १.२५ लाख | ५० टक्के | रु. १.०० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - (भात/गहु) |

| इ | स्पेशलाईज्ड स्वयंचलीत यंत्रे | | | | | |
|--|---|--------------|----------|--------------|----------|---|
| १ | रीपर (३५ बी.एच.पी. पेक्षा जास्त) | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान/ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - (भात/गहु) |
| २ | न्युमॅटीक/ इतर प्लॅन्टर | | | | | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| 1. ट्रॅक्टर / पॉवर टिलर (२० बी.एच.पी. पेक्षा कमी) चलीत औजारें ; उपकरणे | | | | | | |
| अ. लॅन्ड डेव्हलपमेंट, टीलेज व सीड बेड तयार करण्यासाठी लागणारी औजारें ; उपकरणे | | | | | | |
| १ | कल्टीव्हेटर | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| २ | रोटो कल्टीव्हेटर | रु. ०.३५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.२८ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| ३ | रोटाव्हेटर | रु. ०.३५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.२८ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात/गहु/कडधान्ये) |
| ब. साईंग, प्लांटींग, रीपींग व डिर्गिंग इन्व्हेस्टमेंट | | | | | | |
| १ | बटाटा प्लॅन्टर | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| २ | ट्रॅक्टर ड्रॉन रीपर | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ३ | झीरो टिल सीड कम फर्टीलायझर ड्रील | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान |
| ४ | रेज्ड बेड प्लॅन्टर (बी.बी.एफ) | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान/ एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ५ | प्लॅन्टर | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ६ | सीड ड्रील | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| ७ | मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ८ | झीरो टिल मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| ९ | रीज फरो प्लॅन्टर | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| १० | न्युमॅटीक प्लॅन्टर | | | | | |
| ११ | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल ट्रान्सप्लॅन्टर | | | | | |
| १२ | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल सीडर | | | | | |
| १३ | हॅपी सीडर | रु. ०.३५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.२८ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| १४ | सीड कम फर्टीलायझर ड्रील | | | | | |
| १५ | अॅक्वा फर्टी सीड ड्रील | | | | | |
| १६ | रेज्ड बेड प्लॅन्टर इन्काईन्ड प्लेट प्लान्टर व शेपर अॅटॅचमेंट सह | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|----------|--------------|----------|--|
| १७ | प्लॉस्टिक मल्व लेईंग मशीन/मल्वर (उस पिकाकरीता) | रु. ०.३५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.२८ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| क. इंटर कल्टीव्हेशन इक्विपमेंट | | | | | | |
| १ | पॉवर वीडर (ईजीन ऑपरेटेड २ बीएचपी पेक्षा कमी) | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान |
| ड. इक्विपमेंट फॉर रेसीड्यु मॅनेजमेंट / हे अॅन्ड फोरेज इक्विपमेंट | | | | | | |
| १ | शुगर केन ग्रॅश कटर | रु. ०.१५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१२ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| २ | स्ट्रॉ रीपर | | | | | |
| इ. हारव्हेस्टिंग अॅन्ड थ्रेशिंग इक्विपमेंट (ईजीन / इलेक्ट्रीक मोटार चलीत ३ एच पी पेक्षा कमी व पॉवर टीलर आणि ट्रॅक्टर चलीत २० बीएचपी पेक्षा कमी) | | | | | | |
| १ | थ्रेशर | रु. ०.२० लाख | ५० टक्के | रु. ०.१६ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| २ | मल्टी क्रॉप थ्रेशर | | | | | |
| ३ | ब्रश कटर | | | | | |
| ४ | रीपर | | | | | |
| ५ | Mower Shredder (ALL PURPOSE/All crops) (कापूस प-हाटीश्रेडर) | | | | | |
| ६ | पॅडी थ्रेशर | रु. ०.२० लाख | ५० टक्के | रु. ०.१६ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान |
| II. ट्रॅक्टर (२० बी.एच.पी. पेक्षा जास्त ते ३५ बी.एच.पी.) चलीत औजार / उपकरणे | | | | | | |
| अ. लॅन्ड डेव्हलपमेंट, टीलेज व सीड बेड तयार करण्यासाठी लागणारी औजारे / उपकरणे | | | | | | |
| १ | कल्टीव्हेटर | रु. ०.१९ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| २ | रोटाव्हेटर | रु. ०.४४ लाख | ५० टक्के | रु. ०.३५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान |
| ३ | रोटो कल्टीव्हेटर | रु. ०.४४ लाख | ५० टक्के | रु. ०.३५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| ४ | चीजल प्लो | रु. ०.१० लाख | ५० टक्के | रु. ०.०८ लाख | ४० टक्के | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गहू) |
| ब. सोईंग, प्लान्टींग, रीपींग व डिगींग इक्विपमेंट | | | | | | |
| १ | बटाटा प्लॅन्टर | रु. ०.१९ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| २ | ट्रॅक्टर ड्रॉन रीपर | | | | | |
| ३ | झीरो टील सीड कम फर्टीलायझर ड्रील | | | | | |
| ४ | रेज्ड बेड प्लॅन्टर | | | | | |
| ५ | प्लॅन्टर | | | | | |
| ६ | सीड ड्रील | | | | | |
| ७ | सीड कम फर्टीलायझर ड्रील | | | | | |
| ८ | झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर | | | | | |
| ९ | रीज फरो प्लॅन्टर | | | | | |
| १० | मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर | | | | | |
| ११ | टर्बो सीडर | रु. ०.४४ लाख | ५० टक्के | रु. ०.३५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| १२ | न्युमॅटीक प्लॅन्टर | | | | | |
| १३ | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल ट्रान्सप्लॅन्टर | | | | | |
| १४ | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल सीडर | | | | | |
| १५ | हॅपी सीडर | | | | | |
| १६ | रेज्ड बेड प्लॅन्टर इन्काईन्ड प्लेट प्लान्टर व शेषर अॅटचमेंटसह | | | | | |
| १७ | मल्वर (उस पिकाकरीता) | | | | | |
| १८ | मल्वर (उस पिकाकरीता) | | | | | |

| क. इंटर कल्टीवेशन इक्विपमेंट | | | | | | |
|--|---|--------------|----------|--------------|----------|---|
| १ | पॉवर वीडर(ईजीन ऑपरेटेड २ बीएचपी पेक्षा जास्त) | रु. ०.१९ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान/राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात) |
| ड. इक्विपमेंट फॉर रेसीड्यु मॅनेजमेंट / हे अॅन्ड फोरेज इक्विपमेंट | | | | | | |
| १ | शुगर केन थ्रॅश कटर | रु. ०.१९ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| २ | स्ट्रॉ रीपर | | | | | |
| इ. हारव्हेस्टिंग अॅन्ड थ्रेसींग इक्विपमेंट (इंजीन / इलेक्ट्रीक मोटार चलीत ५ एच पी पेक्षा कमी व पॉवर टीत्तर आणि ट्रॅक्टर चलीत ३५ बीएचपी पेक्षा कमी) | | | | | | |
| १ | श्रेशर | रु. ०.२५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.२० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| २ | ब्रश कटर | | | | | |
| ३ | पॅडी श्रेशर | | | | | |
| ४ | रीपर | | | | | |
| ५ | Mower Shredder (ALL PURPOSE/All crops) (कापूस प-हाटी श्रेडर) | | | | | |
| ६ | मल्टी क्रॉप श्रेशर | रु. ०.२५ लाख | ५० टक्के | रु. ०.२० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान |
| III. ट्रॅक्टर (३५ बी.एच.पी. पेक्षा जास्त) चलीत औजार / उपकरणे | | | | | | |
| अ. लॅन्ड डेव्हलपमेंट, टोलेज व सोड वेब तयार करण्यासाठी लागणारी औजारे / उपकरणे | | | | | | |
| १ | कल्टीव्हेटर | रु. ०.४४ लाख | ५० टक्के | रु. ०.३५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| २ | रोटाव्हेटर | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान / राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये/पौष्टिक अन्नधान्ये/भात/गहू/कडधान्ये) |
| ३ | सब सॉइलर | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| ४ | रोटो कल्टीव्हेटर | | | | | |
| व. सोइंग, प्लान्टिंग, रीपींग व डिगींग इक्विपमेंट | | | | | | |
| १ | झीरो टील सीड कम फर्टीलायझर ड्रिल | रु. ०.४४ लाख | ५० टक्के | रु. ०.३५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान/राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गहू) |
| २ | रेज्ड बेड प्लॅन्टर | रु. ०.४४ लाख | ५० टक्के | रु. ०.३५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान / कोरडवाहू शेती अभियान/राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) |
| ३ | सीड ड्रिल | रु. ०.४४ लाख | ५० टक्के | रु. ०.३५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात/गहू/कडधान्ये/ पौष्टिक अन्नधान्ये) |
| ४ | ट्रॅक्टर ड्रॉन रीपर | रु. ०.४४ लाख | ५० टक्के | रु. ०.३५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| ५ | सीड कम फर्टीलायझर ड्रिल | | | | | |
| ६ | बटाटा प्लॅन्टर | | | | | |
| ७ | शुगर केन कटर / स्ट्रीपर / प्लॅन्टर | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| ८ | मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|----------|---------------|----------|--|
| ९ | मल्वर (उस पीकाकरीता) | | | | | |
| १० | रेज्ड बेड प्लॅन्टर इन्काईन्ड प्लेट प्लान्टर व शेपर अटॅचमेंट सह | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| ११ | टर्बो सीडर | | | | | |
| १२ | न्युमॅटीक प्लॅन्टर | | | | | |
| १३ | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल ट्रान्सप्लॅन्टर | | | | | |
| १४ | न्युमॅटीक व्हेजीटेबल सीडर | | | | | |
| १५ | हॅपी सीडर | | | | | |
| १६ | कसावा प्लॅन्टर | | | | | |
| १७ | झीरो टील मल्टी क्रॉप प्लॅन्टर | | | | | |
| १८ | रीज फरो प्लॅन्टर | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (कडधान्य), कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| क. इंटर कल्टीव्हेशन इक्विपमेंट | | | | | | |
| १ | वीडर (पी. टी. ओ. ऑपरेटेड) | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान |
| ड. हार्व्हेस्टिंग अॅन्ड थ्रेशिंग इक्विपमेंट (इंजीन/इलेक्ट्रीक मोटार चलीत ५ एच पी पेक्षा जास्त व पॉवर टीलर आणि ट्रॅक्टर चलीत ३५ बीएचपी पेक्षा जास्त) | | | | | | |
| १ | शेसर / मल्टी क्रॉप शेसर | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान/राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळित धान्ये/ भात/गहू/कडधान्य/पौष्टिक अन्नधान्ये) |
| २ | पॅडी शेसर | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात) |
| ३ | Mower Shredder (ALL PURPOSE/All crops) (कापूस प-हाटी श्रेडर) | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| ४ | रीपर | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात/गहू) |
| इ. इक्विपमेंट फॉर रेसीड्यु मॅनेजमेंट / हे अॅन्ड फोरेज इक्विपमेंट | | | | | | |
| १ | शुगर केन थ्रेश कटर | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| २ | स्ट्रॉ रीपर | | | | | |
| ई. मनुष्य चलीत सोईंग व प्लान्टिंग इक्विपमेंट | | | | | | |
| १ | ड्रम सीडर (४ ओळी पेक्षा जास्त) | रु. ०.०१९ लाख | ५० टक्के | रु. ०.०१५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात) |
| IV. पीक संरक्षण उपकरणे | | | | | | |
| १ | ट्रॅक्टर माऊंटेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर (२० बी. एच. पी.पेक्षा कमी) | रु. ०.१० लाख | ५० टक्के | रु. ०.०८ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| २ | ट्रॅक्टर माऊंटेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर (३५ बी. एच. पी.पेक्षा कमी) | रु. ०.१३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.१० लाख | ४० टक्के | |
| ३ | ट्रॅक्टर माऊंटेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर (३५ बी. एच. पी.पेक्षा जास्त) | रु. ०.६३ लाख | ५० टक्के | रु. ०.५० लाख | ४० टक्के | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|----------|--------------|---|--|
| V. | काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे | | | | | |
| A. | अन्नधान्य / गळित धान्य व फलोत्पादन पीकांसाठी काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे | | | | | |
| १ | मीनी राईस मील | | | | | |
| २ | पॅकिंग मशीन (सर्व प्रकारच्या फलोत्पादन /अन्नधान्य / गळित धान्य पीकांसाठी) | रु. १.५० लाख | ६० टक्के | रु. १.२५ लाख | ५० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| ३ | मीनी दाळ मील | रु. १.५० लाख | ६० टक्के | रु. १.२५ लाख | ५० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान/ कोरडवाहू शेती अभियान |
| ४ | सर्व प्रकारचे ग्राईंडर/पल्हराइजर/पॉलीशर (सर्व प्रकारच्या फलोत्पादन /अन्नधान्य / गळित धान्य पीकांसाठी) | | | | | |
| ५ | सर्व प्रकारचे क्लीनर कम ग्रेडर /ग्रेडीयंट सेपरेटर/ स्पेसीफीक ग्रेडीटी सेपरेटर (सर्व प्रकारच्या फलोत्पादन /अन्नधान्य / गळित धान्य पीकांसाठी) | रु. ०.४४ लाख | ५० टक्के | रु. ०.३५ लाख | ४० टक्के | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| VI. | काढणी पश्चात तंत्रज्ञान | | | | | |
| १ | FPO साठी बिज प्रक्रीया युनिट उभारणी | किमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. १० लाख यापैकी जे कमी असेल ते | | | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (कडधान्य) | |
| २ | शेतकरी गटाकरीता मिनी डाळमिल | किमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. १.२५ लाख यापैकी जे कमी असेल ते | | | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात) | |
| ३ | FPO साठी मिनी राईस मिल | किमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. १.२५ लाख यापैकी जे कमी असेल ते | | | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात) | |
| VII. | स्थानिक पुढाकाराच्या यादी | | | | | |
| १ | FPO साठी गोदाम बांधकाम | खर्चाच्या ५० टक्के किंवा रु. १२.५० लाख यापैकी जे कमी असेल ते | | | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात/गहू/कडधान्ये) | |
| VIII. | कृषि औजारे बँक स्थापन करणे | | | | | |
| १ | रु. १० लाख पर्यंत | अनुदान मर्यादा ४ लाख / ४० टक्के | | | | कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान |
| २ | रु.२५ लाख पर्यंत | अनुदान मर्यादा १० लाख / ४० टक्के | | | | |
| ३ | रु.४० लाख पर्यंत | अनुदान मर्यादा १६ लाख / ४० टक्के | | | | |
| ४ | रु.६० लाख पर्यंत | अनुदान मर्यादा २४ लाख / ४० टक्के | | | | |
| VIX | भाडे तत्वावर कृषि औजारे सुविधा केंद्र स्थापन करणे | भाडे तत्वावर औजारे सुविधा केंद्र उभारणाऱ्या बँके कर्जाची निगदित प्रकल्प उभारणीनंतर ५० टक्के अर्धसहाय्य | | | नागाजी नेशनल वृत्ति संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे | |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|--------------------------------------|---|---|--|
| २.अ.फळे, फुले व वृक्ष लागवड | | | |
| १ | औषधी वनस्पती लागवड | नष्टप्राय होण्याचा धोका असणा-या व आयुष उद्योगाकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी असलेल्या प्रजाती- प्रति हे. लागवड खर्चाच्या ७५ टक्के | राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान |
| | | नष्टप्राय होण्याच्या मार्गावर व ज्यांचा पुरवठ्याचा स्रोत खालावत आहे अशा प्रजाती- प्रति हे. लागवड खर्चाच्या ५० टक्के | राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान |
| | | आयुष उद्योगाकडून व निर्यातीसाठी मागणी असलेल्या प्रजाती- प्रति हे. लागवड खर्चाच्या ३० टक्के | राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान |
| २ | वृक्षजन्य तेलबिया लागवड | करंज रु. २००००/हे. मोह रु. १५०००/हे. कोकम रु. १५०००/हे. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (वृक्षजन्य तेलबिया) |
| ३ | वृक्षजन्य तेलबिया देखभाल | करंज रु. २०००/हे. (४ वर्षांपर्यंत) मोह रु. २०००/हे. (८ वर्षांपर्यंत) कोकम रु. २०००/हे. (६ वर्षांपर्यंत) | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (वृक्षजन्य तेलबिया) |
| ब. पृथोत्पादन विकास कार्यक्रम | | | |
| १ | कट फ्लॉवर्स (लांब दांड्याची फुल पिके) गुलाब, अँस्टर, बर्ड ऑफ पॅराडाईज, हेलिकोनियास, गोल्डन रॉड, शेवंती, स्टॅटिस, लेडिज लेस, जरबेरा, कार्नेशन, अँथुरियम इ. | कट फ्लॉवर्स साठी अल्प भूधारक शेतक-यांना खर्चाच्या ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. ४०,००० प्रति हेक्टर आणि इतर शेतक-यांना २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. २५,००० प्रति हेक्टर अनुदान (जास्तीत जास्त २ हे. प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहिल.) | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| २ | कंद वर्गीय फुले (निशिगंध, ग्लॅंडओलस, लिलिज, लिलियम, कॅलालिलि, डेलिया इ. | कंद वर्गीय फुलांसाठी अल्प भूधारक शेतक-यांना खर्चाच्या ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. ६०,००० प्रति हेक्टर आणि इतर शेतक-यांना खर्चाच्या २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. ३७,५०० प्रति हेक्टर अनुदान (जास्तीत जास्त २ हे. प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहिल.) | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ३ | सुटी फुले (झेंडू, अँस्टर, गॅलांडिया, हेलिक्रायसम, शेवंती, मोगरा, जाई, जुई, झिनिया, बिजली, इ.) | सुट्या फुलांसाठी अल्प भूधारक शेतक-यांना खर्चाच्या ४० टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. १६,००० प्रति हेक्टर आणि इतर शेतक-यांना २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु. १०,००० प्रति हेक्टर अनुदान (जास्तीत जास्त २ हे. प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा राहिल.) | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| क. मसाला पिके | | | |
| १ | बिया वर्गीय व कंद वर्गीय मसाला पिके (कडीपत्ता, आले, हळद, मिर्ची, लसूण, धने, मेथी, जिरे, शहाजिरे, वेलदोडा इ) | बिया वर्गीय व कंद वर्गीय मसाला पिकासाठी (फक्त सुधारित, संकरित जातींचा समावेश करावा) जास्तीत जास्त ४ हेक्टर पर्यंत खर्चाच्या ४० टक्के प्रति हेक्टर जास्तीत जास्त रु. १२००० अनुदान. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| २ | बहु वार्षिक मसाला पिके (मिरी, लवंग, जायफळ व दालचिनी इ.) | बहु वार्षिक मसाला पिकांसाठी, (फक्त सुधारित, संकरित जातींचा समावेश करावा) प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त ४ हेक्टर पर्यंत खर्चाच्या ४० टक्के प्रति हेक्टर जास्तीत जास्त रु. २०,००० अनुदान. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|------------------------------|---|---|---|
| ३ | सुगंधी वनस्पती (पचौली, जिरेनियम, रोझमिरी इ.) | सुगंधी वनस्पती लागवडीसाठी प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त ४ हेक्टर पर्यंत खर्चाच्या ४० टक्के प्रति हेक्टर जास्तीत जास्त रु. ४०,००० अनुदान. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| | | इतर सुगंधी वनस्पती लागवडीसाठी प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त ४ हेक्टर पर्यंत खर्चाच्या ४० टक्के प्रति हेक्टर जास्तीत जास्त रु. १६,००० अनुदान. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ४ | अळिंबी उत्पादन (मशरूम) | मुशरूम उत्पादन प्रकल्प पायाभूत सुविधांसाठी खजगी क्षेत्रासाठी खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम रु. ८.०० लाख प्रति युनिट (बँक कर्जाशी निगडीत). | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| | | अळिंबी बीज उत्पादन युनिट उभारण्यासाठी खजगी क्षेत्रास खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम रु. ६.०० लाख प्रति युनिट अनुदान (बँक कर्जाशी निगडीत) | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| | | कंपोस्ट उत्पादन युनिट उभारण्यासाठी खजगी क्षेत्रास खर्चाच्या ४० टक्के रक्कम रु. ८.०० लाख प्रति युनिट अनुदान (बँक कर्जाशी निगडीत). | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ५ | जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन (आंबा, काजू, चिकू, संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू, पेरू व आवळा) | प्रति लाभार्थी ०.२० हेक्टर व जास्तीत जास्त २ हेक्टर क्षेत्रासाठी जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. २०००० प्रति हेक्टर अनुदान देय | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ३. बियाणे व रोपवाटिका | | | |
| १ | रोपवाटिका | औषधी वनस्पती मोठी ४ हेक्टर- प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के कमाल रु. १२.५० लाख | राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान |
| | | औषधी वनस्पती लहान १ हेक्टर-प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के कमाल रु. ३.१२५ लाख | राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान |
| | | नारळ रोपवाटिका -एक एकर साठी जास्तीत जास्त २.०० लाख अनुदान | नारळ विकास मंडळ पुरस्कृत नारळ विकास योजना |
| २ | ग्रामबिजोत्पादन | तृणधान्य बियाणे किमतीच्या ५० टक्के, कडधान्य व गळीतधान्य बियाणे किमतीच्या ६० टक्के एक एकर क्षेत्रासाठी | बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान |
| ३ | प्रमाणीत बियाणे उत्पादन | कडधान्य व गळीतधान्य पिकासाठी बियाणे किमतीच्या ७५ टक्के प्रति शेतकरी एक एकर क्षेत्रासाठी | बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान |
| | | सोयाबीन, तूर,मूग, उडीद,हरभरा, रब्बी ज्वारी, कापूस बियाणे उत्पादनासाठी पैदासकार/पायाभूत बियाणांच्या किमतीमध्ये आणि प्रमाणिकरण शुल्कामध्ये सवलत | नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| ४ | बियाणे | पैदासकार बियाणे खरेदी- १० वर्षांआतील राज्यासाठी अधिसूचित वाणास केंद्र शासनाच्या दरानुसार प्रतिपूर्ती अनुदान | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) |
| ५ | पायाभूत बियाणे उत्पादन | १० वर्षांआतील राज्यासाठी अधिसूचित वाणास रु. २५००/क्विंटल | |
| ६ | प्रमाणित बियाणे उत्पादन | १० वर्षांआतील राज्यासाठी अधिसूचित वाणास रु. २५००/क्विंटल | |
| | | १० वर्षांआतील राज्यासाठी अधिसूचित वाणास रु. ३०००/क्विंटल | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (पौष्टीक अन्नधान्य) |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|------------------------|---|---|--|
| ७ | बियाणे उत्पादनास अर्थसहाय्य | १० वर्षाआतील सुधारीत वाणास रु. ५०००/क्विंटल | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (कडधान्ये) |
| | | राज्यासाठी १५ वर्षाआतील अधिसूचित वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा उच्चतम मर्यादा सुधारीत वाण रु.४०००/क्विं. व संकरीतवाण रु.८०००/क्विं. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) |
| | | राज्यासाठी १० वर्षाआतील अधिसूचित वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा उच्चतम मर्यादा सुधारीत वाण रु.३०००/क्विं. व संकरीतवाण रु.१००००/क्विं. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (मका) |
| ८ | प्रमाणीत बियाणे वितरण | राज्यासाठी १० वर्षावरील अधिसूचित वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा उच्चतम मर्यादा सुधारीत/संकरीत वाण रु.१५००/क्विं. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (मका) |
| | | राज्यासाठी १० वर्षाआतील अधिसूचित वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा उच्चतम मर्यादा रु.३०००/क्विं. व १० वर्षावरील अधिसूचित वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा उच्चतम मर्यादा रु.१५००/क्विं. | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (पोष्टीक अन्नधान्य) |
| | | १० वर्षाआतील सुधारीत वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. २०००/क्विंटल व १० वर्षावरील सुधारीत वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. १०००/क्विंटल, तसेच संकरीत वाणास ५० टक्के किंवा रु. १००००/क्विंटल पैकी जे कमी असेल ते | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात) |
| | | १० वर्षाआतील सुधारीत वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. ५०००/क्विंटल व १० वर्षावरील सुधारीत वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. २५००/क्विंटल | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (कडधान्ये) |
| | | १० वर्षाआतील सुधारीत वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. २०००/क्विंटल व १० वर्षावरील सुधारीत वाणास किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. १०००/क्विंटल | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गहू) |
| ९ | ऊसाच्या एक डोळा पद्धतीने रोपवाटिका उभारणी (बेणे मळा आणि शेडनेट हाऊस उभारणी अधिक आवश्यक लागवड साहित्य) | प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के कमाल रु. १,२५,००० | रा.कृ.वि.यो अंतर्गत ऊसाचे एक डोळा पद्धतीने बेणे उत्पादित करण्याकरिता रोपवाटिका स्थापन करण्याचा कार्यक्रम |
| ४. सिंचन सुविधा | | | |
| १ | ठिबक सिंचन व तुषार सिंचन संच | अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना ५५ टक्के तर इतर शेतक-यांना ४५ टक्के पर्यंत योजनेतर्गत अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेतर्गत ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुदानाचा लाभ घेता येईल. | केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - प्रति थेंब अधिक पिक (३४ जिल्हे)/ नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| | | अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना ५५ टक्के तर इतर शेतक-यांना ४५ टक्के पर्यंत योजनेतर्गत अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेतर्गत २ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत अनुदानाचा लाभ घेता येईल. | १०० टक्के राज्यपुरस्कृत मराठवाडा सुक्ष्म सिंचन योजना (मराठवाड्यातील सर्व ८ जिल्हे)/ नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील संबंधित जिल्हे (प्रकल्प गावे) |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|---------|------------------------|---|---|
| २ | सामुहिक शेततळे | २४ X २४ X ३ मी. व ३४ X ३४ X ४.७ मी. या दोन आकारमानाचे १०० टक्के अनुदान (अनुक्रमे रु.१.७५ व ३.३९ लाख) | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी संपुर्ण राज्यभर, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील जिल्हे व विदर्भातील उर्वरित जिल्हे) |
| | | १०० टक्के अनुदानावर व रु.२०.०० लाख प्रति युनिट च्या मर्यादित व डोंगराळ भागासाठी रु २५.०० लाख या मर्यादित (१० हे. लाभ क्षेत्र) | नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| ३ | वैयक्तिक शेततळे | १५ X १५ X ३ मी. बाजू उतार १:१ इनलेट आऊटलेट सह रु. २२,११०/- इनलेट आऊटलेट विरहीत - बाजू उतार १:१.५ इनलेट आऊटलेट सह रु. १८,३१२/- इनलेट आऊटलेट विरहीत - | मागेल त्याला शेततळे/नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| | | २० X १५ X ३ मी. बाजू उतार १:१ इनलेट आऊटलेट सह रु.२९,७०६/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.२६,२०६/- बाजू उतार १:१.५ इनलेट आऊटलेट सह रु.२४,९८०/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.२१,४८०/- | |
| | | २० X २० X ३ मी. बाजू उतार १:१ इनलेट आऊटलेट सह रु.४०,४६७/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.३६,९६७/- बाजू उतार १:१.५ इनलेट आऊटलेट सह रु.३४,७७०/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.३१,२७०/- | |
| | | २५ X २० X ३ मी. बाजू उतार १:१ इनलेट आऊटलेट सह रु.५०,०००/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.४७,७२८/- बाजू उतार १:१.५ इनलेट आऊटलेट सह रु.४४,६०३/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.४१,१०३/- | |
| | | २५ X २५ X ३ मी. बाजू उतार १:१ इनलेट आऊटलेट सह रु.५०,००० इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.५०,०००/- बाजू उतार १:१.५ इनलेट आऊटलेट सह रु.५०,०००/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.५०,०००/- | |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|---------|------------------------|---|--|
| ३ | वैयक्तिक शेततळे | ३० X २५ X ३ मी. बाजू उतार १:१ इनलेट आऊटलेट सह रु.५०,०००/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.५०,०००/- बाजू उतार १:१.५ इनलेट आऊटलेट सह रु.५०,०००/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.५०,०००/- | मागेल त्याला शेततळे/नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| | | ३० X ३० X ३ मी. बाजू उतार १:१ इनलेट आऊटलेट सह रु.५०,०००/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.५०,०००/- बाजू उतार १:१.५ इनलेट आऊटलेट सह रु.५०,०००/- इनलेट आऊटलेट विरहीत रु.५०,०००/- | |
| | | ५०० ते १०००० घ.मी. मंजूर मापदंडाच्या ५० टक्के फक्त अस्तरीकरणासाठी ०.२८ ते ०.७८ लाख मर्यादित | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना |
| | | 20X20X३ मी. रु.४०,४६७/-प्रति शेततळे (मागेल त्याला शेततळे प्रमाणे) | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) |
| | | ३०X३०X३ मी. रु. ५०,०००/-प्रति शेततळे (मागेल त्याला शेततळे प्रमाणे) | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) |
| | | मागेल त्याला शेततळे योजनेप्रमाणे शेततळ्यांसाठी देय अनुदान. | कोरडवाहू शेती अभियान |
| | | ४ | वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण |
| ५ | पंपसंच | किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. १०,००० यापेकी जे कमी असेल ते | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात/कडधान्य/गहू) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतर्गत भात उत्पादन कार्यक्रम/कोरडवाहू शेती अभियान /नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| ६ | पाईपलाईन | किंमतीच्या ५० टक्के रु. २५ मीटर(कमाल लाभमर्यादा रु. १५०००/६०० मी. साठी) | कोरडवाहू शेती अभियान/नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| | | किंमतीच्या ५० टक्के पाईप्सच्या प्रकारानुसार अनुदान अनुज्ञेय(कमाल लाभमर्यादा रु. १५०००/६०० मी साठी) | राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|--------------------|----------------------------------|---|--|
| ५. उच्च तंत्र शेती | | | |
| १ | नियंत्रित शेती- हरितगृह | उच्च तंत्रज्ञान आधारित हरितगृह उभारणीसाठी (प्रति लाभार्थी किमान १००० चौ.मी. जास्तीत जास्त ४००० चौ.मी.) खर्चाच्या ५० टक्के किंवा मॉडेल मापदंडानुसार देय (रु. ११७३ ते १४३० प्रति चौ. मी.) या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान/ नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| | | सर्व साधारण हरितगृह उभारणीसाठी (कमीत कमी ५०० चौ.मी. व जास्तीत जास्त ४००० चौ.मी.) खर्चाच्या ५० टक्के किंवा मॉडेल मापदंडानुसार देय (रु. ८०६ ते ९३५ प्रति चौ. मी.) या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान/ राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास /कोरडवाहू शेती अभियान (२०८० चौ. मी पर्यंत) /नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| | | लाकडी सांगाडा व नैसर्गिक वायुविजन-निविष्टा खर्चाच्या ५० टक्के रु.२७० प्रति स्क्वे.मी.च्या मर्यादित, डोंगराळ भागाकरिता रु ३११/-प्रति स्क्वे.मी.च्या मर्यादित व ४००० चौ.मी. प्रति लाभार्थी | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (२०८० चौ. मी पर्यंत) |
| | | बांबू सांगाडा व नैसर्गिक वायुविजन-निविष्टा खर्चाच्या ५० टक्के रु.२२५ प्रति स्क्वे.मी.च्या मर्यादित व डोंगराळ भागाकरिता रु २५९/-प्रति स्क्वे.मी.च्या मर्यादित व ४००० चौ.मी. प्रति लाभार्थी | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (२०८० चौ. मी पर्यंत) |
| २ | शेड नेट हाऊस | राऊंड टाईप प्रति लाभार्थी कमीत कमी ५०० चौ.मी. व जास्तीत जास्त ४००० चौ.मी. शेड नेट हाऊससाठी खर्चाच्या ५० टक्के किंवा मॉडेल मापदंडानुसार देय (रु. ४५४ ते ६०४ प्रति चौ. मी.) या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान/कोरडवाहू शेती अभियान (२०८० चौ. मी पर्यंत)/नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| | | फ्लॅट टाईप प्रति लाभार्थी कमीत कमी १००० चौ.मी. व जास्तीत जास्त ४००० चौ.मी. शेड नेट हाऊससाठी खर्चाच्या ५० टक्के किंवा मॉडेल मापदंडानुसार देय (रु. ३४५ ते ४७६ प्रति चौ. मी.) या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान. | |
| ३ | पक्षी रोधक जाळी/गारपीट रोधक जाळी | खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान ५००० चौ.मी. जास्तीत जास्त प्रति लाभार्थी देय राहिल. (रु. ३५ प्रति चौ.मी.) | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ४ | फ्लॅस्टिक मल्लिंग | प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त २ हेक्टर क्षेत्रासाठी खर्चाच्या ५० टक्के सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी जास्तीत जास्त रु. १६००० प्रति हेक्टर व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रु. १८,४०० प्रति हेक्टर अनुदान. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|--------------------------------------|---|--|---|
| ५ | प्लॅस्टिक टनेल | प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त १००० चौ.मी. खर्चाच्या ५० टक्के सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी रु. ३० प्रति चौ.मी. व डॉगराळ क्षेत्रासाठी रु. ३७.५० प्रति चौ.मी. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान/ नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| ६ | परंपरागीकरणासाठी मधुमक्षिकापालन | न्युक्लिअस स्टॉकचे उत्पादन करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रासाठी खर्चाच्या १०० टक्के व जास्तीत जास्त रु. २०.०० लाख (प्रकल्प आधारीत) | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| | | बी-ग्रीडरकडून मधुमक्षिका वसाहतीचे उत्पादन करणे- खर्चाच्या ४० टक्के जास्तीत जास्त रु. ८०० प्रति मधुमक्षिका संघ अनुदान देव | |
| | | मध काढणी यंत्र व साठवणे करीता भांडे - खर्चाच्या ४० टक्के जास्तीत जास्त रु. ८००० प्रति संघ | नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| | | मध पेट्या, मध काढणी यंत्र व साठवण सुविधा - बँक कर्जाशी निगडीत प्रकल्प ५० टक्के | |
| ६. साठवणुक व प्रक्रिया केंद्र | | | |
| १ | पूर्व शितकरण गृह (Precooling Unit) ६ मे. टन क्षमता | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु. ८.७५ लाख आणि डॉगराळ व अधिसूचीत क्षेत्रासाठी किंमतीच्या ५० टक्के जास्त रु. १२.५० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान/ नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| २ | पॅक हाऊस | प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. २.०० लाख प्रति युनिट | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान / कोरडवाहू शेती अभियान/नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे |
| ३ | एकात्मिक पॅक हाऊस (कन्व्हेअर बेल्ट, संकलन व प्रतवारी केंद्र, वॉशिंग व ड्राईंग यार्ड आणि भारत्तोलन इ. सुविधांसह) | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु. १७.५० लाख आणि डॉगराळ व अधिसूचीत क्षेत्रासाठी किंमतीच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. २५.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत) अनुदान देय | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान/नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| ४ | फलोत्पादन मालाचे संकलन, प्रतवारी व पॅकिंग गृह उभारणी | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी ४० टक्के जास्तीत जास्त रु. ६.०० लाख आणि डॉगराळ व अधिसूचीत क्षेत्रासाठी ५५ टक्के जास्तीत जास्त रु. ८.२५ लाख (बँक कर्जाशी निगडीत) अनुदान देय | |
| ५ | शीतखोली (Cold Room) ३० मे. टन क्षमता | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु.५.२५ लाख आणि डॉगराळ व अधिसूचीत क्षेत्रासाठी किंमतीच्या ५० टक्के जास्त रु. ७.५० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|---------|--|--|---|
| ६ | फिरते पूर्व शितकरण गृह (Mobile Pre-cooling Unit) | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु.८.७५ लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी किमतीच्या ५० टक्के जास्त रु. १२.५० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान/नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| ७ | शितगृह प्रकार १ (प्रति चेंबर २५० टन पेक्षा जास्त) | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु.१४०.०० लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी किमतीच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु.२००.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | |
| ८ | शितगृह प्रकार २(प्रति चेंबर २५० टन पेक्षा कमी) | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु. १७५.०० लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी किमतीच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. २५०.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | |
| ९ | शितगृह प्रकार ३ (नियंत्रित वातावरणासाठी नविन तंत्रज्ञान राबविणे) | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी किमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु. १७५.०० लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी किमतीच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. २५०.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | |
| १० | शित साखळीमध्ये नवीन तंत्रज्ञान राबविणे व शितसाखळीचे आधुनिकीकरण करणे. | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु. ८७.५० लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. १२५.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | |
| ११ | शितवाहन (प्रकल्प क्षमता- ४ मे. टन ते ९ मे.टन) | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु. ९.१० लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. १३.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | |
| १२ | प्राथमिक /फिरते प्रक्रिया केंद्र | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के जास्तीत जास्त रु. १०.०० लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५५ टक्के जास्तीत जास्त रु. १३.७५ लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | |
| १३ | रायफिंग चेंबर (प्रकल्प क्षमता ३०० मे.टन) रु. १.०० प्रति मे.टन | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु. १०५ लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. १५०.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | |
| १४ | शेतावरील कमी ऊर्जा वापरणारे थंड साठवणूक गृह - (८ मे. टन) | प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. २.५० लाख | |
| १५ | कमी किमतीचे फळ-भाजोपाला साठवण केंद्र | प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. १.०० लाख | |
| १६ | कमी खर्चाचे कांदा साठवणूक गृह / कांदा चाळ २५ मे.टन | प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. ८७,५०० रुपये अर्धसहाय्य | |
| १७ | पुसा शुन्य उर्जा आधारित शितगृह १०० किलो | ग्राह्य खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु.२०००/- | |
| १८ | एकात्मिक शितसाखळी पुरवठा प्रणाली | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु.२१०.०० लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. ३००.०० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| १९ | साठवण गृह | ग्राह्य खर्चाच्या ५० टक्के | राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान |
| २० | वाळवणी गृह | ग्राह्य खर्चाच्या ५० टक्के | राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान |
| २१ | कृषि मालासाठी वाहन सुविधा | ५० टक्के जास्तीत जास्त रु.२.०० लाख | फोरडवाहू शेती अभियान |
| २२ | धान्य साठवणुक सुविधा/गोदाम बांधकाम | शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी खर्चाच्या ५० टक्के किंवा रु. १२.५० लाख यापैकी जे कमी असेल ते | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात/गहू/कडधान्य)/ नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे |
| | | २५० मे.टन क्षमतेच्या गोदामासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा रु.१२.५० लाख यापैकी जे कमी असेल ते (बँक कर्ज प्रकरणाशी निगडित) | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) व राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (पौष्टीक अन्नधान्य) |
| २३ | काढणीपश्चात व साठवण तंत्रज्ञान | भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के व रु.४००० प्रति चौ.मी. व जास्तीत जास्त रु.२.०० लाख प्रति युनिट | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानंतर्गत फोरडवाहू क्षेत्र विकास |
| २४ | मुरबास युनिट | १०० टक्के अनुदानावर सायलोपीट (२१००-२५०० घनफुट सिमेंट बांधकाम) चाफकटर व वजनकाटा यासाठी रु.१.२५ लाख मर्यादित | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानंतर्गत फोरडवाहू क्षेत्र विकास |
| ७. प्रशिक्षण व अभ्यासदेरे | | | |
| १ | शेतकरी प्रशिक्षण | राज्यांतर्गत प्रशिक्षण - १०० टक्के अनुदान रु. १००० प्रति दिवस प्रति शेतकरी | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| | | राज्याबाहेर प्रशिक्षण - १०० टक्के प्रकल्प आधारीत | |
| | | प्रति प्रशिक्षण रु. २४०००/- (३० शेतकरी संख्या/२ दिवस/प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. ४००/-प्रति दिवस) | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये/वृक्षजन्य तेलविया) |
| | | आंतर राज्य - प्रति शेतकरी रु. १२५० प्रति दिन | राज्याच्या कृषि विस्तार यंत्रणांना विस्तार विषयक सुधारणांसाठी अर्थसहाय्य (आत्मा) |
| | | राज्यांतर्गत- प्रति शेतकरी रु. १००० प्रति दिन | |
| | | जिल्हांतर्गत- प्रति शेतकरी रु. २५०/ प्रति दिन (रु.४०० निवासी) | |
| | | प्रति प्रशिक्षण रु. १४०००/- (३० शेतकरी संख्या) (वार्षिक ४ सत्र) | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (पौष्टीक अन्नधान्य) |
| २ | माळी प्रशिक्षण | ६ महिन्याचे वर्ग प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति महिना रु. १००० (२५ प्रशिक्षणार्थी प्रति बँच / वार्षिक २ बँच) | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|------------------------|---|---|--|
| ३ | पर्यवेक्षक व उद्योजक प्रशिक्षण | १२ महिन्यांचे वर्ग प्रति प्रशिक्षणार्थी रु. १५०० प्रति महिना अर्थसहाय्य (२५ प्रशिक्षणार्थी प्रति प्रशिक्षण वर्ग) | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ४ | शेतक-यांच्या कौशल्य विकास कार्यशाळा | वनामती/रामेतीस्तरावरील कार्यशाळा (रु. १५००/- प्रति व्यक्ती प्रति दिन) | कृषि पुरक व्यवसायासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (आत्मा) |
| ५ | शेतकरी अभ्यासपेढे | आंतर राज्य - प्रति शेतकरी रु. ८०० प्रति दिन | राज्याच्या कृषि विस्तार यंत्रणांना विस्तार विषयक सुधारणांसाठी अर्थसहाय्य (आत्मा) |
| | | राज्यांतर्गत- प्रति शेतकरी रु. ४०० प्रति दिन | |
| | | जिल्हांतर्गत- प्रति शेतकरी रु. ३०० प्रति दिन | |
| ६ | शेतीशाळा | प्रति शेतीशाळा रु. ४५००० (५ दिवस-३० शेतकरी) | कृषि पुरक व्यवसायासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (आत्मा) |
| | | एकात्मिक कौशल्य नियंत्रण- रु. २६७००/प्रति प्रशिक्षण (३० शेतकरी) | राष्ट्रीय तेलविया अभियान : गळीतधान्ये |
| | | प्रति शेतीशाळा रु. २९४१४/- | राज्याच्या कृषि विस्तार यंत्रणांना विस्तार विषयक सुधारणांसाठी अर्थसहाय्य (आत्मा) |
| | | हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान आधारित शेतीशाळा | नानागी देशमुख कृषि संगीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| ७ | शेतकऱ्यांचा गट तयार करणेसाठी सभा/चर्चासत्राचे आयोजन | रु. २०० प्रति शेतकरी (१००००/- रु.प्रति गट) | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना-सॅट्रिय शेती |
| ८ | शेतकऱ्यांचे (गट) क्षेत्रिय भेटीचे आयोजन | रु. २०० प्रति शेतकरी (१००००/- रुपये प्रति गट) (सॅट्रिय शेती फार्मवर) | |
| ९ | शेतकरी गटाचे प्रशिक्षण | सहभागी हमी योजना (PGS) प्रमाणिकरण शेतकरी गट नेत्याची निवड करणे शेतकरी गट नेता (LRP) ५० शेतकऱ्यांची तीन प्रशिक्षण आयोजन एका प्रशिक्षणास रु.२००००/- (६००००/- रुपये प्रति गट) | |
| १० | गट नेत्याचे पीजीएस (PGS) प्रमाणिकरणासाठी प्रशिक्षण | दोन दिवसाचे २००/-रु.प्रति शेतकरी गट नेता (LRP) (४०० रु.प्रति गट) | |
| ८. प्रात्यक्षिक | | | |
| १ | सोयाबीन | निविष्ठा पॅकेजनुसार (उच्चतम मर्यादा-प्रति हेक्टर) रु. ६०००/-) | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) |
| २ | भुईमूग | निविष्ठा पॅकेजनुसार (उच्चतम मर्यादा-प्रति हेक्टर) रु. १००००/-) | |
| ३ | करडई/तिळ | निविष्ठा पॅकेजनुसार (उच्चतम मर्यादा-प्रति हेक्टर) रु. ३०००/-) | |
| ४ | खरिप ज्वारी | निविष्ठा पॅकेजनुसार (उच्चतम मर्यादा-प्रति हेक्टर) रु. ६०००/-) | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (पोस्टीक अन्नधान्य) |
| ५ | खरिप बाजरी | | |
| ६ | नाचणी | | |
| ७ | रबी ज्वारी | | |
| ८ | मका | निविष्ठा पॅकेजनुसार (उच्चतम मर्यादा-प्रति हेक्टर) रु. ६०००/-) | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भरडधान्य-मका) |
| ९ | मका + (तूर/सोयाबीन) आंतरपीक | | |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|------------------------|---|---|--|
| १० | सलग पिक प्रात्यक्षिक तूर/मुग/उडीद/हरभरा/भात/ गहू | रु. ९००० प्रति हेक्टर | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (भात/कडधान्य/गहू) |
| ११ | आंतरपिक प्रात्यक्षिक सोयाबीन + तूर | रु. ९००० प्रति हेक्टर | |
| १२ | पिक पध्दतीवर आधारीत प्रात्यक्षिक मुग/उडीद नंतर र. ज्वारी /गहू | रु. १५००० प्रति हेक्टर | |
| १३ | खरिप ज्वारी/बाजरी नंतर हरभरा (रब्बी) | रु. १५००० प्रति हेक्टर | |
| १४ | भात पिकांनंतर कडधान्य (रब्बी) | रु. १५००० प्रति हेक्टर | |
| १५ | खरिप सोयाबीननंतर गहू | रु. १५००० प्रति हेक्टर | |
| १६ | स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी अंतर्गत पिक प्रात्यक्षिक भात पिकाचे स्थानिक वाण (मार्केट लोड एक्सटेन्शन) | रु. ४५०० प्रति हेक्टर | राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके योजने अंतर्गत ऊस विकास कार्यक्रम |
| १७ | बांधावर तूर लागवड | रु. २००० प्रति हेक्टर | |
| १८ | पट्टा पध्दतीने ऊस एक डोळा व आंतरपीक प्रात्यक्षिके | रु. ८००० प्रति हेक्टर | राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके योजने अंतर्गत कापूस विकास कार्यक्रम |
| १९ | कापूस पिकात मुग, उडीद, तूर आंतरपिक | रु. ९००० प्रति हेक्टर | |
| २० | देशी कापसाची अतिघन लागवड | रु. १०००० प्रति हेक्टर | राष्ट्रीय तेलविया अभियान : गळीतधान्ये |
| २१ | भुईमूग आच्छादन प्रात्यक्षिक | रु. ११,५००/प्रात्यक्षिक (७५०० निविष्टासाठी + ४००० पॉलिथीन मल्लससाठी) | |
| ९. बाजार सुविधा | | | |
| १ | टर्मिनल मार्केट | ग्राह्य खर्चाच्या २५ ते ४० टक्के जास्तीत जास्त रु. ५०.०० कोटी (बँक कर्जाशी निगडीत). | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| २ | होलसेल मार्केट | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के जास्तीत जास्त रु. २५.०० कोटी आणि डोंगराळ व अधिसूचीत क्षेत्रासाठी ३३.३३ टक्के जास्तीत जास्त रु. ३३.३३ कोटी अर्थसहाय्य (बँक कर्जाशी निगडीत). | |
| ३ | अपनी मंडी | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के जास्तीत जास्त रु. १०.०० लाख आणि डोंगराळ व अधिसूचीत क्षेत्रासाठी ५५ टक्के जास्तीत जास्त रु. १३.७५ लाख अर्थसहाय्य (बँक कर्जाशी निगडीत). | |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|------------------------|---|---|---|
| ४ | वातावरण नियंत्रित रिटेल बाजार | सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु. ५.२५ लाख डॉगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी ५० टक्के जास्तीत जास्त ७.५० लाख (बँक कर्जाशी निगडीत). | एकत्रितिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| ५ | डॉगराळ भागात गुरुत्वाकर्षण ऑपरेटेड रोप-बे | ५० टक्के डॉगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी (बँक कर्जाशी निगडीत). | |
| ६ | स्थाई / फिरते / विक्री केंद्र - शित चेंबरच्या सुविधेसह | प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. १५००० अर्थसहाय्य (बँक कर्जाशी निगडीत) | |
| ७ | वातावरण नियंत्रित रिटेल बाजार / विक्री दालन | सर्वसाधारण क्षेत्राच्या प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त रु. ५.२५ व डॉगराळ व अधिसूचित क्षेत्रासाठी ५० टक्के जास्तीत जास्त ७.५० लाख अर्थसहाय्य (बँक कर्जाशी निगडीत) | |
| ८ | निर्यातीकरीता बागांच्या नोंदणीच्या सुविधा (ग्रेपनेट, अनारनेट, मँगानेट व व्हेजनेट) | युरोपियन देशांना द्राक्ष डार्डीब, आंबा व भाजीपाला निर्याती करिता नोंदणीच्या सुविधा | आर.के.व्ही.वाय. योजने अंतर्गत ताजी फळे व भाजीपाला यांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हॉर्टीनेट ट्रेसबिलिटी सिस्टमचे बळकटीकरण करणेची योजना |
| ९ | पणन प्रोत्साहन | प्रकल्प आधारित | राष्ट्रीय ओवधी चनस्पती अभियान |
| १०.सॅन्डीय शेती | | | |
| १ | गांडूळ कल्चर तथा खत उत्पादन केंद्र स्थापना | गांडूळ खत उत्पादन युनिट उभारणीसाठी खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. ५०,००० प्रति केंद्र अर्थसहाय्य. | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास |
| २ | हिरकळीचे खत/गिरीपुष्प लागवड | खर्चाच्या ५० टक्के जास्तीत जास्त रु. २,००० प्रति हे. च्या मर्यादेत | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास |
| ३ | गांडूळ खत उत्पादन युनिट | गांडूळ खत उत्पादन युनिट (आकार-७' X ३' X १') रु.५०००/- प्रति युनिट X ५० (२,५०,००० रु.प्रति गट) | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना-सॅन्डीय शेती/नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे (प्रकल्प गावे) |
| ४ | सहभाग हमी पध्दतीने (Participatory Guarantee System -PGS) प्रमाणीकरण करणे | प्रमाणिकरण विषयाबाबतचे प्रशिक्षण, ऑनलाईन नोंदणी, कागदपत्रे तयार करणे, एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेमार्फत नमुने तपासणी इ. घटकरासाठी तीन वर्षांमिळून रु. २.६४ लाखाची तरतूद (५० शेतक-यांचा ५० एकर क्षेत्राचा एक गट) | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना-सॅन्डीय शेती |
| ५ | नत्र स्थिरीकरण करणारी पीक लागवड | ग्लिरिसीडिया, सिस्वेनिया लागवड करणे. रु. २०००/- प्रति एकर ५० एकर क्षेत्रासाठी (रु. १.०० लाख प्रति गट) | |
| ६ | साधारण शेतीचे सॅन्डीय शेतीमध्ये रूपांतरण | सॅन्डीय शेतीमध्ये रूपांतरण रु. १०००/- प्रति एकर ५० शेतक-यांच्या गटासाठी (रु. १.५० लाख प्रति गट) | |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे स्वरूप | योजना |
|---|--|--|---|
| ७ | पीक पध्दतीत बदल करणे | सॅन्ड्रिय बी-वियाणे खरेदी, सॅन्ड्रिय बीज रोपवटिका तयार करणे रु. ५००/- प्रति एकर प्रति वर्ष (रु.७५००० रु. प्रति गट) | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना-सॅन्ड्रिय शेती |
| ८ | पारंपारिक पध्दतीने सॅन्ड्रिय निविष्ठा निर्मिती प्रकल्प | परंपरागत सॅन्ड्रिय निविष्ठा निर्मिती प्रकल्प विजामृत, जिवामृत, दशपर्णी अर्के इत्यादी १५०० रु. प्रति युनिट/ प्रति एकर /५० एकर क्षेत्रासाठी (७५००० रु. प्रति गट) | |
| ९ | सॅन्ड्रिय निविष्ठा पुरवठा | निम केक/निम/ऑईल उत्पादन युनिट रु. ५००/- प्रति शेतकरी ५० शेतक-यांच्या गटासाठी रु. २५००० फॉस्फेटयुक्त सॅन्ड्रिय खताचा वापर, रु. १०००/- प्रति एकर ५० शेतक-यांच्या गटासाठी रु. ५०००० | |
| ११. भू-सुधारणा व शेती पध्दती विकास | | | |
| १ | जमीन आरोग्य पत्रिका वितरण | शेतक-यांना त्यांच्या शेत जमिनीतील मातीचे परीक्षण करून पिकांना खतांच्या शिफारसीसह मृद आरोग्य पत्रिका वितरण | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना |
| २ | चोपण जमिन सुधारणा | निविष्ठा खर्चाच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त रु. २५,००० प्रति हे.च्या मर्यादेत | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरड्याह क्षेत्र विकास |
| ३ | आम्लधर्मिय जमिन सुधारणा | निविष्ठा खर्चाच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त रु. ३,००० प्रति हे.च्या मर्यादेत | |
| ४ | फळपीक आधारित शेती पध्दती | निविष्ठा खर्चाच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त रु. २५,००० प्रति हे.प्रति लाभार्थी २ हे. च्या मर्यादेत | |
| ५ | दुग्धउत्पादन आधारित शेती पध्दती | गाय/म्हेंस खरेदी, पुरक खाद्य व निविष्ठा खर्चाच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त रु. ४०,००० प्रति हे.प्रति लाभार्थी २ हे. च्या मर्यादेत | |
| ६ | पशुधन आधारित शेती पध्दती | पशुधन खरेदी पुरक खाद्य व निविष्ठा खर्चाच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त रु. २५,००० प्रति हे.प्रति लाभार्थी २ हे. च्या मर्यादेत | |
| ७ | यनिकी आधारित शेती पध्दती | निविष्ठा खर्चाच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त रु. १५,००० प्रति हे. प्रति लाभार्थी २ हे. च्या मर्यादेत | |
| ८ | माती तपासणी | रु. १९० प्रति नमुना प्रमाणे २१ नमुन्यांसाठी रु. ३९९० प्रति गट / प्रतिवर्षाप्रमाणे तीन वर्षांसाठी रु. ११९७०/- | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना-सॅन्ड्रिय शेती |
| १२. पिक व शेतकरी विमा | | | |
| १ | विमा संरक्षण - १. पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या काळावधीत पिकांच्या उत्पादनात वाढ २. प्रतिकूल हवामानामुळे पिकाची पेरणी/ लावणी न झाल्यास होणारे नुकसान ३. पीक काळावधीत प्रतिकूल हवामानामुळे होणारे नुकसान ४. काढणी पश्चात नुकसान ५. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती. (गारपीट, भुस्खलन, पुराचे पाणी शेतात आल्यास) | विमा हप्त्या व अनुदान - शेतक-यांनी भरावयाचा विमा हप्त्या हा खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा व वास्तवदर्शी दर यापैकी जो कमी असेल तो राहिल. उर्वरित विमा हप्त्या रकम ही अनुदान स्वरूपात केंद्र व राज्य शासनामार्फत समग्रमाणात देव राहिल. | प्रधानमंत्री पिक विमा योजना (PMFBY) |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे निकष | योजना |
|--------------------------------|--|--|---|
| २ | फळपिकासाठी विमा मृग बहार (संत्रा, मोसंबी, पेरू, चिकू व डाळिंब) ऑबिया बहार (संत्रा, मोसंबी, पेरू, डाळिंब, केळी, काजू, आंबा, द्राक्ष व लिवू) | शेतक-यांनी भरावयाचा जास्तीत जास्त विमा हप्तादर विमा संरक्षित रक्कमेच्या ५ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर या पैकी जे कमी असेल तो दर | हवामान आधारित फळपिक विमा योजना |
| ३ | शेतकरी अपघात विमा | शेतक-यांचा अपघाती मृत्यु झाल्यास रक्कम रु.२.०० लाख व अपंगत्व आल्यास रु.१.०० लाख विमा संरक्षण | गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना |
| १३. निविष्ठा | | | |
| १ | एकात्मिक अन्नद्रव्ये / क्रीड व्यवस्थापन प्रोत्साहन | प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त ४ हेक्टर क्षेत्रासाठी खर्चाच्या ३० टक्के जास्तीत जास्त रु. १२०० प्रति हेक्टर अनुदान. | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान |
| २ | | सूक्ष्म मुलद्रव्ये/पीक संरक्षण औषधे/तणनाशके -किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु. ५००/हे उच्चतम मर्यादित | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) |
| ३ | | जिप्सम/सल्फर - किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.७५०/हे. उच्चतम मर्यादित | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये /कडधान्ये) |
| ४ | | जैविक खते - किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.३००/हे. उच्चतम मर्यादित | |
| ५ | | जैविक कीड नियंत्रण (एनपीव्ही)-किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.५००/हे. उच्चतम मर्यादित | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) |
| ६ | | सूक्ष्म मुलद्रव्ये/जैविक खते/पीक संरक्षण औषधे/तणनाशके पुरवठा/बायो एजंट -किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रु.५००/हे. उच्चतम मर्यादित | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (पोष्टीक अन्नधान्य/भात/गहू/कडधान्य) |
| ७ | | आपत्कालीन परिस्थितीत ५० टक्के अनुदानावर औषधे पुरवठा (रु. ७५० प्रति हे. मर्यादित) | फलोत्पादन यिकावरील कीड रोग सर्वेक्षण सल्ला व व्यवस्थापन प्रकल्प |
| ८ | | ५० टक्के अनुदानावर औषधे पुरवठा (पिक संरक्षण) | फलोत्पादन पिक संरक्षण |
| १४. कृषि विषयक पुरस्कार | | | |
| १ | विविध कृषि पुरस्कार व पीक स्पर्धा विजेते शेतक-यांचा सत्कार (रु. प्रती पुरस्कार) | डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार (एकूण पुरस्कार संख्या - १) रु. ७५,०००/- | विविध कृषि पुरस्कार व पीक स्पर्धा विजेते शेतक-यांचा सत्कार करण्याची योजना |
| २ | | वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार (एकूण पुरस्कार संख्या - १०) रु. ५०,०००/- | |
| ३ | | जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार (एकूण पुरस्कार संख्या ५) रु. ५०,०००/- | |
| ४ | | वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार (एकूण पुरस्कार संख्या ३) रु. ३०,०००/- | |
| ५ | | वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (एकूण पुरस्कार संख्या-२५) रु. ११,०००/- | |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे निकष | योजना |
|--|--|--|---|
| | विविध कृषि पुरस्कार व पीक स्पर्धा विजेते शेतकऱ्यांचा सत्कार (रु. प्रती पुरस्कार) | राज्यस्तरीय पीकस्पर्धा विजेते शेतकरी :- प्रथम क्रमांक- रु. १०,०००/- द्वितीय क्रमांक- रु. ७,०००/- तृतीय क्रमांक- रु. ५,०००/- | विविध कृषि पुरस्कार व पीक स्पर्धा विजेते शेतक-यांचा सत्कार करण्याची योजना |
| १५. शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी अर्थसहाय्य योजना | | | |
| १ | शेतकरी गट संघटन | अ) क्षमता बांधणी - रु.५०००/प्रति गट/प्रति वर्ष | राज्याच्या कृषि विस्तार यंत्रणांना विस्तार विषयक सुधारणांसाठी अर्थसहाय्य (आत्मा) |
| | | ब) फिरता निधी - रु.१००००/प्रति गट/प्रति वर्ष | राज्याच्या कृषि विस्तार यंत्रणांना विस्तार विषयक सुधारणांसाठी अर्थसहाय्य (आत्मा) |
| | | क) अन्न सुरक्षा गट (फ्रूट महीलांकरिता)- रु.१००००/प्रति गट/प्रति वर्ष | राज्याच्या कृषि विस्तार यंत्रणांना विस्तार विषयक सुधारणांसाठी अर्थसहाय्य (आत्मा) |
| २ | शेतकरी उत्पादक कंपनीला अर्थसहाय्य | पात्रताधारक उत्पादक कंपनीस त्यांच्या एकूण समभागा एवढा निधी मिळण्यास मदत होते. कमाल रक्कम रु. १० लाख प्रति शेतकरी उत्पादक कंपनी | समभाग निधी योजना (Equity Grant Scheme) |
| ३ | शेतकरी गट/उत्पादक उत्पादक कंपनीला अर्थसहाय्य | कृषि व कृषि पुरक व्यवसाय उभारणीसाठी पणन सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया आणि भाडेतात्कावर औजार सुविधा केंद्र उभारणीसाठी बँक कर्जाशी निगडित प्रकल्पास प्रकल्प उभारणीनंतर ५० टक्के अर्थसहाय्य | नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील १५ जिल्हे |
| ४ | शेतकरी उत्पादक कंपनीला पतहमी | पात्र कर्ज पुरवठादार संस्थांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना करावयाच्या तारणमुक्त कर्ज पुरवठ्यामधील धोके कमी करण्यासाठी रु. १००.०० लाख रुपयापर्यंत पत हमीची सुरक्षा | पत हमी निधी योजना (Credit Guarantee Fund Scheme) |
| ५ | कृषि उद्योगासाठी बिनव्याजी भांडवल कर्ज | कृषि प्रकल्पाची किंमत ही सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी किमान रु.१५.०० लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त व अनुसूचित म्हणून मागास जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्प किंमत रु. १०.०० लक्ष असेल तर कृषि प्रकल्पांमधील उद्योजकांनी स्वतः केलेल्या गुंतवणुकीच्या २६ टक्के तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनीने पुरस्कृत केलेल्या कृषि उद्योगांस त्यांच्या स्वगुंतवणुकीच्या किमान ४० टक्के बिनव्याजी भांडवली अर्थसहाय्य. बिनव्याजी भांडवली अर्थ सहाय्याची अधिकतम मर्यादा ही रु. ५०.०० लाख पर्यंतच असेल. | कृषि उद्योगासाठी बिनव्याजी भांडवल कर्ज योजना (Venture Capital Assistance Scheme for Agribusiness Development) |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे निकष | योजना |
|---|--|--|---|
| १६. अनुसूचित जाती /जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष योजना | | | |
| १ | परसबाग कार्यक्रम (फलोत्पादन विभागाच्या निकषानुसार) | १०० टक्के किंवा रु. २५२/- प्रती लाभार्थी | आदिवासी कटुदाच्या परसबागेत फळझाडे व भाजीपाला लागवड योजना |
| २ | नवीन विहीर | रु. २५००००/- | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्याव्हरलंबन योजना व विरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) |
| ३ | जुनी विहीर दुरुस्ती | रु. ५००००/- | |
| ४ | इन्वेल बोअरिंग | रु. २००००/- | |
| ५ | पंप संच | रु. २५०००/- | |
| ६ | वीज जोडणी आकार | रु. १००००/- | |
| ७ | शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण | रु. १०००००/- | |
| ८ | सूक्ष्म सिंचन संच | टिबक - रु. ५००००/- तुषार - रु. २५०००/- | विरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) |
| ९ | परसबाग | रु. ५००/- | |
| १० | एचडीपीई पाईप | | |

नवीन विहीर पॅकेज - नवीन विहीर, पंपसंच, वीज जोडणी आकार, टिबक किंवा तुषार असे एकूण रु. ३.१० ते ३.३५ लाख. **जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज -** जुनी विहीर दुरुस्ती, पंपसंच, वीज जोडणी आकार, टिबक किंवा तुषार असे एकूण रु. १.१० लाख ते १.३५ लाख. **शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण पॅकेज -** शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण, पंपसंच, वीज जोडणी आकार, टिबक किंवा तुषार असे एकूण रु. १.६० लाख ते १.८५ लाख. लाभार्थ्यांकडे जर काही घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहीत मर्यादित देण्यात येईल. नवीन विहीर / जुनी विहीर दुरुस्तीचा घटकांचा लाभ घेतल्यानंतरही लाभार्थ्यांनी इन्वेल बोअरिंग या घटकाची मागणी केल्यास सदर घटकाचा अतिरिक्त लाभ देण्यात येईल. सदर योजनांसाठी लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. १.५०,०००/- आहे. या योजना कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येतात.

१७. डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन

| | | | |
|----|--|--|--|
| १. | सॅट्रिय निविद्या निर्मिती | १. प्रति एकर रक्कम रु ५५००/- प्रति लाभार्थी २ हेक्टरसाठी ३ वर्षांकरिता २. गटाचे ५० एकर क्षेत्रासाठी एकूण अनुदान रक्कम रु ८.२५ लाख | डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन (शा.नि.क्र.जैशेमि १०१८/ प्र.क्र. १२५/१७ अे मुंबई दि. १६/१०/२०१८) |
| २. | प्राथमिक व द्वितीयस्तर प्रक्रिया युनिट स्थापन करणे | विपणनक्षम माल निर्माण करणेसाठी गटाचे स्तरावर आवश्यक यंत्र सामग्री (धान्य प्रतवारी, मिनी दालमिल, ऑईल मिल इ.) खरेदी करणेसाठी किमतीच्या ५० टक्के रक्कम रु. २.०० लाख गटस्तरावर अनुज्ञेय. | |
| ३. | बाजार पेटेशी दुवा | गटाने उत्पादित केलेल्या मालाचे विक्रीसाठी अन्न व औषध प्रमाणपत्र, ब्रॅंडिंग, पॅकेजिंग व मालाचे विक्रीसाठी करावयाचे प्रसिध्दी साहित्य प्रत्येक गटास रक्कम रु १.०० लाख देय. | |

१८. मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना

| | | | |
|----|---|---|---|
| १. | कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योग व आधुनिकीकरण | फळे, भाजीपाला, अन्न धान्य, कडधान्य, तेलबिया उत्पादने इ. वर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना कारखाना व यंत्रे आणि प्रकल्पासाठी मागे व पुढे कामासाठी आवश्यक असणारी दालने, यांच्या बांधकाम खर्चाच्या ३० टक्के अनुदान, कमाल मर्यादा रक्कम रु ५०.०० लाख | मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना (शा.नि.क्र. दि. २०/०६/२०१७) |
| २. | शितसाखळी योजना | अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाशी निगडित पूर्वप्रक्रिया केंद्र व एकात्मिक शितसाखळी योजना स्थापित करणेसाठी कारखाना व यंत्र सामग्री आणि तांत्रिक बांधकामाच्या किमतीच्या ३० टक्के अनुदान, कमाल मर्यादा रक्कम रु ५०.०० लाख | |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ. क्र. | शेतक-यांना मिळणारे लाभ | लाभाचे निकष | योजना |
|---|---|---|--|
| १९. गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरण - शेतकऱ्यांच्या गटशेतीस चालना देणे | | | |
| | गट शेती योजनेत प्रामुख्याने सामुहिक व वैयक्तीक घटकांमध्ये प्रामुख्याने | १. किमान २० खातेदार शेतकरी असलेले किमान १०० एकर क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांचे गट / समूह शेती (कोकण विभागासाठी ५० एकर क्षेत्र व क्षेत्राच्या प्रमाणात अनुदान देव) | <p>गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरण - शेतकऱ्यांच्या गटशेतीस चालना देणे</p> <p>(शासन निर्णय कृषि व पट्टम विभाग - कृषिका / २०१८/ प्र.क्र ३२ (भाग१) ३जे दि.०५/१०/२०१८)</p> |
| १ | सामुहिक सिंचन सुविधा - सामुहिक विहिर/शेततळे, पार्सपलाईन, अँटोमायझेशन युनिट, सुक्ष्म सिंचन इ. | २. गटशेती योजनेअंतर्गत गटाने प्रस्तावित केलेल्या वैयक्तीक व सामुहिक घटकांसाठी ६० टक्के अनुदान | |
| २ | सामुहिक अवजारे/यंत्र बँक निर्मिती - | ३. ज्या घटकासाठी प्रचलित योजना लागू नाही त्यास शासकीय मुल्यांकाप्रमाणे ६० टक्के अनुदान कमाल मर्यादा १.०० कोटी. | |
| ३ | सामुदायिक पशुधन व्यवस्थापनासाठी सामुहिक गोठा बांधकाम करणे, स्लरी युनिट करणे, गांडुळ शेड, कंपोस्ट निर्मितीसाठी युनिट, मुरघास युनिट व आवश्यक संयंत्र, अडी देणाऱ्या कोबड्यांसाठी जाळ्या, दुध संकलन प्रक्रियेसाठी आवश्यक संयंत्र. | | |
| ४ | सामुहिक तत्वावर नियंत्रित शेतीकरणे - सामुहिक तत्वावर पॉलीहाऊस, शेडनेट हाऊस उभारणी | | |
| ५ | सामुदायिक संकलन, साठवणूक व प्रक्रिया केंद्राची निर्मिती तसेच विपणन व्यवस्थापीक पध्दतीनुसार आवश्यक सर्व मशिनरी व संयंत्र, संकलन, साठवणूक व उत्पादित मालाचे पॅकिंग, ब्रँडिंग करणे, मालाच्या विपणनासाठी रेफर व्हॅन या बाबीसाठी गटशेती योजनेतील अनुदानाच्या किमान २० टक्के खर्च करणे बंधनकारक राहिल | | |
| २०. राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियान | | | |
| १ | परिधीय क्षेत्र / बांधावरील झाडे लागवड | शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त रु. ७०/- प्रतिरोप/ कलम. खर्चाच्या मर्यादित ५० टक्के प्रमाणे ४ वर्षासाठी ४०:२०:२०:२० वा प्रमाणात | <p>राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियान</p> <p>(शासन निर्णय क्र.शाशेज-२०१७/प्र.क्र.१२६/४जे मुंबई दि.०८/१२/२०१७)</p> |
| २ | कमी घनतेची वृक्ष लागवड अ) १०० पेक्षा कमी रोपे संख्या | रोपांच्या प्रत्यक्ष संख्येनुसार रु. ७०/- प्रति रोप | |
| | ब) १०० ते ५०० रोपे संख्या | रु. २८००० /- किंवा लाकवडीच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात | |
| ३ | जास्त घनतेचे (ब्लॉक) वृक्षारोपण (प्रति हेक्टर रोपे संख्या) अ) ५०० ते १००० (अंतर ३.५ मी. X ३.५ मी.) | रु. ३०,०००/- प्रति हेक्टर | |
| | ब) १००० ते १२०० (अंतर ३ मी. X ३ मी.) | रु. ३५,०००/- प्रति हेक्टर | |
| | क) १२०० ते १५०० (अंतर २.५ मी. X २.५ मी.) | रु. ४५,०००/- प्रति हेक्टर | |
| | ड) १५०० पेक्षा जास्त (अंतर २.५ मी. X २.५ मी. पेक्षा कमी अंतर) | रु. ५०,०००/- प्रति हेक्टर | |

शेतकरी माहिती पुस्तिका - योजनांची माहिती

| अ.क्र. | फळपिक | अंतर मी. | हेक्टरी झाडे संख्या | प्रति हेक्टरी कमाल अनुदान मर्यादा (रु.) |
|---------------------------------------|---|----------|---------------------|---|
| २१. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना | | | | |
| | आंबा कलमे | १० X १० | १०० | ५३५६१ |
| | आंबा कलमे (सघन लागवड) | ५ X ५ | ४०० | १०१९७२ |
| | काजू कलमे | ७ X ७ | २०० | ५५५७८ |
| | पेरू कलमे (सघन लागवड) | ३ X २ | १६६६ | २०२०९० |
| | पेरू कलमे | ६ X ६ | २७७ | ६२२५३ |
| | डाळींब कलमे | ४.५ X ३ | ७४० | १०९४८७ |
| | संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू कलमे | ६ X ६ | २७७ | ६२५७८ |
| | संत्रा कलमे (इंडो-इस्त्राईल तंत्रज्ञान) | ६ X ३ | ५५५ | ९९७१६ |
| | नारळ रोपे - बाणवली | ८ X ८ | १५० | ५९६२२ |
| | नारळ रोपे - टी/डी | ८ X ८ | १५० | ६५०२२ |
| | सिताफळ कलमे | ५ X ५ | ४०० | ७२५३१ |
| | आयळा कलमे | ७ X ७ | २०० | ४९७३५ |
| | चिंच कलमे | १० X १० | १०० | ४७३२१ |
| | जांभूळ कलमे | १० X १० | १०० | ४७३२१ |
| | कोकम कलमे | ७ X ७ | २०० | ४७२६० |
| | फणस कलमे | १० X १० | १०० | ४३५९६ |
| | अंजिर कलमे | ४.५ X ३ | ७४० | ९७४०६ |
| | चिक्कू कलमे | १० X १० | १०० | ५२०६१ |

(शासन निर्णय क्र. राफयो-२०१८/प्र.क्र ४७/९ अे मुंबई दि.०६/०७/२०१८)

योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे राहतील -

१. सर्व प्रवर्गांतर्गत ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाची उपजिवीका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल व त्यानंतर अन्य शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात येईल. (कुटुंबाची व्याख्या - पती, पत्नी व अज्ञान मुले)
२. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना MREGS योजनेचा प्रथम लाभ घेतल्यानंतरच उर्वरित क्षेत्रासाठी भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेमूधन लाभ घेता येईल.
३. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना कृषि विद्यापीठांनी कृषि हवामान क्षेत्राकरीता शिफारस केलेल्या फळपिकांच्या बाणांची व उपरोक्त तक्त्यात नमूद फळपिकांच्या अंतराच्या शिफारशीनुसार फळबागेची लागवड करणे बंधनकारक राहिल.
४. फळ पिकांची फलमे/रोपे प्राधान्याने शासकीय, कृषि विद्यापीठ, राष्ट्रीय संशोधन संस्था व राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मानांकित रोपवाटिकेतूनच घेणे बंधनकारक राहिल.
५. योजनेअंतर्गत फळबागेकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक राहिल.
६. फळबाग लागवडीच्या अनुदानाची रकम पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी अनुक्रमे ५०, ३० व २० टक्के प्रमाणे लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात अदा करण्यात येईल.


२२. कृषि विभागाच्या विविध योजनांतर्गत समाविष्ट जिल्हे

| अ.क्र. | योजना | जिल्हे |
|--------|---|---|
| १ | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात | नाशिक, पुणे, सातारा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली. (८ जिल्हे) |
| २ | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - गहू | बीड, सोलापूर, नागपूर.(३) |
| ३ | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्ये) NFSM (Oilseeds) | नाशिक, धुळे, अहमदनगर, पुणे, सांगली, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर. (१९ जिल्हे) |
| ४ | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (वृक्षजन्य तेलाबिया) NFSM (TBOs) | ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, नंदुरबार. (७ जिल्हे) |
| ५ | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भरडधान्य-मका NFSM (Coarse Cereals) | नाशिक, धुळे, जळगांव, अहमदनगर, सांगली, औरंगाबाद, जालना (७ जिल्हे) |
| ६ | राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान पौष्टिक अन्नधान्य NFSM (Nutri Cereals) | ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ. (२६ जिल्हे) |
| ७ | राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत व्यापारी पिके योजने अंतर्गत कापूस विकास कार्यक्रम | बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर. (८ जिल्हे) |
| ८ | राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत व्यापारी पिके योजने अंतर्गत ऊस विकास कार्यक्रम | औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर. (८ जिल्हे) |
| ९ | राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत ऊसाचे एक डोळा पध्दतीने वेणे उत्पादित करण्याकरिता रोपवाटिका स्थापन करण्याचा कार्यक्रम | नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, वर्धा. (२२ जिल्हे) |
| १० | समभाग निधी योजना (Equity Grant Scheme) | |
| ११ | पत हमी निधी योजना (Credit Guarantee Fund Scheme) | |
| १२ | कृषि उद्योगासाठी बिनव्याजी भांडवल कर्ज योजना (Venture Capital Assistance Scheme for Agribusiness Development) | संपूर्ण राज्यभर |
| १३ | विविध कृषि पुरस्कार | |
| १४ | बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना, क्षेत्रांतर्गत (टि.एस.पी.) | ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली. (१६ जिल्हे) |
| १५ | हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना | ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा (३० जिल्हे) |
| १६ | बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना, क्षेत्राबाहेरील (ओ.टि.एस.पी.) | ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली.(२९ जिल्हे) |
| १७ | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कडधान्य | |
| १८ | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना | राज्यातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर चगळता उर्वरित सर्व जिल्ह्यांसाठी लागू |
| १९ | कोरडवाहू शेती अभियान | |

२२. कृषि विभागाच्या विविध योजनांतर्गत समाविष्ट जिल्हे

| अ.क्र. | योजना | जिल्हे | |
|--------|---|---|--|
| २० | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास उपअभियान | राज्यातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता उर्वरित सर्व जिल्ह्यांसाठी लागू | |
| २१ | बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियान | | |
| २२ | प्रधानमंत्री पिक विमा योजना | | |
| २३ | गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना | | |
| २४ | कृषि उन्नती योजने अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान | | |
| २५ | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत मृद आरोग्य पत्रिका योजना | | |
| २६ | एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान | | |
| २७ | राष्ट्रीय औषधी वनस्पती अभियान | | |
| २८ | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना-सॅट्रिय शेती | | |
| २९ | फलोत्पादन पिक संरक्षण | | |
| ३० | आर.के.व्ही.वाय. योजनेतर्गत ताजी फळे व भाजीपाला यांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हॉर्टीनेट ट्रेसिबिलिटी सिस्टमचे बळकटीकरण करणेची योजना | | |
| ३१ | मागेल त्याला शेततळे | | |
| ३२ | राज्याच्या कृषि विस्तार यंत्रणांना विस्तार विषयक सुधारणांसाठी अर्थसहाय्य (आत्मा) | | |
| ३३ | कृषि पुरक व्यवसायासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (आत्मा) | | |
| ३४ | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | | |
| ३५ | आदिवासी क्षेत्रात परसबागेची स्थापना | | ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया (१४ जिल्हे) |
| ३६ | १०० टक्के राज्य पुरस्कृत मराठवाडा सूक्ष्म सिंचन योजना | | मराठवाडयातील सर्व ८ जिल्हे |
| ३७ | नारळ विकास मंडळ पुरस्कृत नारळ विकास योजना | | ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, पुणे (०७ जिल्हे) |
| ३८ | नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प | | जळगांव, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा (१५ जिल्हे) |
| ३९ | डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन | | अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती आणि वर्धा. (०६ जिल्हे) |
| ४० | मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना | | राज्यातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता उर्वरित सर्व जिल्ह्यांसाठी लागू |
| ४१ | गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरण - शेतक-यांच्या गटशेतीस चालना देणे | | |
| ४२ | राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियान | | |
| ४३ | भाऊसाहेब फुडकर फळबाग लागवड योजना | | |

अधिक माहितीसाठी :
जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,
प्रकल्प संचालक (आत्मा),
तालुका कृषि अधिकारी,
मंडळ कृषि अधिकारी
टोल फ्री क्रमांक : १८००-२३३-४०००



कृषि आयुक्तालय
महाराष्ट्र राज्य, पुणे

website - www.krishi.maharashtra.gov.in